

अनुसूची सं०-फारम सं० 196

Schedul LIII- F No. 196

मूल नियमावली के नियम 81 आदि,

झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 291 आदि,

झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 334 उ. आदि

पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली

Fundamental Rules 81, etc.

J. & O. Service Code rules 291 etc.

J. & O. Service Code rules 334 E. etc.

Regarding Revised Leave Rules

Application for Leave of Absence under

पदाधिकारी का नाम और धारित पद Name of Officer and appointment he holds.	छुट्टी का विवरण Description of leave	आवेदित छुट्टी की अवधि और छुट्टी किस तारीख से आरम्भ होगी Period of leave applied for and the date from which to commence.	पिछली छुट्टी और उससे लौटने की तारीख Last leave and date of return there from	अनुपस्थित होने वाले व्यक्ति के कार्य की व्यवस्था संबंध में सुझावों के साथ उपस्थित पदाधिकारी की सिफारिश Recommendation of superior officer with suggestions as to arrangements for the absentee's work.

टिप्पणी- झारखण्ड-सेवा संहिता के नियम 166
झारखण्ड-सेवा संहिता के नियम 272

प्राधिकृत अवकाशों को जोड़ने का आवेदन छुट्टी मंजूर करने वाले
प्राधिकारी के पास छुट्टी का आवेदन करने के साथ ही किया जाए।

N.B. - Any application to prtix on affix authorised holidays

to leave under S.R. 166 should be
J. & O. Service Code Rule 272
made to the authority sanctioning the leave of the time when
the application for leave is submitted.

तारीख.....
Date

आवेदक का हस्ताक्षर
Signature of applicant